**भारत सरकार**

**विधि और न्याय मंत्रालय**

# विधायी विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1005**

**जिसका उत्तर सोमवार, 3 दिसंबर, 2012 को दिया जाना है**

**चुनाव व्यय संबंधी नीति**

**1005. डा. टी. एन. सीमा :**

**श्री जुगल किशोर :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी उम्मीदवारों द्वारा वहन किए जाने वाले चुनाव व्यय के संबंध में कोई नीति बनाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने चुनाव में काले धन के प्रभाव को कम करने के लिए कोई नीति बनाई है और उसका कार्यान्वयन किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्री (डा. अश्वनी कुमार)**

**(क) और (ख) :** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि प्रत्येक अभ्यर्थी अपने निर्वाचन के संबंध में उपगत सभी व्यय का पृथक और सही लेखा रखेगा । उक्त अधिनियम की धारा 78 प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षा करती है कि वह धारा 77 के अधीन रखे गए अपने निर्वाचन व्ययों का सही लेखा दाखिल करे । धारा 77 की उपधारा (3) केंद्रीय सरकार को संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र में किसी अभ्यर्थी द्वारा उपगत किए जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा विहित करने की शक्तियां प्रदत्त करती है । उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार ने, समय-समय पर उक्त व्यय की अधिकतम समय सीमा बढ़ाई है । तदनुसार, सरकार ने, उक्त व्यय की अधिकतम सीमा को भी भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ0 425(अ), तारीख 23 फरवरी, 2011 द्वारा पुनरीक्षित किया था जिसके द्वारा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र में अभ्यर्थियों को लागू निर्वाचन व्ययों की ऊपरी सीमा को बढ़ाया गया था ।

**(ग) और (घ) :** भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचनों में ‘काले धन’ के बढ़ते हुए प्रभाव के बारे में गंभीर रूप से चितिंत है । आयोग ने सभी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के साथ 4 अक्तूबर, 2010 को एक बैठक की थी और ‘धन बल’ आदि के प्रयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की थी । निर्वाचन आयोग ने अनेक उपाय भी किए हैं जिनके अंतर्गत निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन व्यय पर नज़र रखने के लिए आयोग में पृथक प्रभाग खोलना, व्यय संप्रेक्षकों और सहायक व्यय संप्रेक्षकों की नियुक्ति, नकदी, लिकर और अन्य मदों के संचलन पर निगरानी रखने के लिए उड़न दस्तों और स्थैतिक सर्तकता दलों का गठन भी है । मीडिया विज्ञापनों और संदत्त समाचारों के संदिग्ध मामलों पर निगरानी के लिए मीडिया प्रमाणन और मानीटरी समिति का भी गठन किया गया है । अभ्यर्थियों द्वारा उपगत संप्रेक्षित निर्वाचन व्यय का अभिलेख रखने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी का प्रतिबिंब संप्रेक्षण रजिस्टर का रखरखाव, व्यय की मुख्य मदों पर नज़र रखने के लिए वीडियो सर्तकता दल का अभिनियोजन, निर्वाचन व्ययों के प्रयोजन के लिए अभ्यर्थी द्वारा पृथक बैंक खाता खोलने, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन-क्षेत्र में नकदी के संचलन पर निगरानी रखना कुछ अन्य उपाय हैं । आयोग ने, सभी अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों को भी अनुदेश जारी किए हैं कि वे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नकद रूप में बड़ी रकम का संदाय न करें । सरकार, भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए ठोस उपायों पर व्यापक राजनैतिक सर्वसम्मति को धीरे-धीरे आगे बढ़ाने की सतत प्रक्रिया के भाग के रूप में निर्वाचनों में बेहिसाब धन के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए तथा निर्वाचन सुधारों हेतु मांग को व्यापक रूप से देखने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है ।